

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.) छत्तीसगढ़

जीरो पॉइंट, विधान सभा रोड रायपुर, पिन-492005

(e-mail: agaechhattisgarh@cag.gov.in)

क्रं. प्रशासन-II /F-395/का.आ.-60

दिनांक: 03.07.2025

संशोधित कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के कार्यालय आदेश क्रमांक प्रशासन-II /F-381/का.आ.-40 एवं 42 दिनांक 04.06.2025 द्वारा संभागीय लेखाधिकारी / संभागीय लेखापाल का नियमित पदस्थापना एवं अतिरिक्त प्रभार आदेश जारी किया गया था। स्थानांतरण एवं पदस्थापना समिति के अनुशंसा के आधार पर उपरोक्त आदेश में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है :

1. कार्यालय आदेश 40 दिनांक 04.06.2025 के सरल क्रमांक 7 पर दर्शित अधिकारी Shri Atul Ranjan Panda, Sr. DAO को अस्थायी रूप से दिनांक 31.07.2025 तक Research Officer, (Soils) CS&MT Raipur संभाग में पदस्थ किया जाता है।
2. कार्यालय आदेश 42 दिनांक 04.06.2025 के सरल क्रमांक 7 पर दर्शित अधिकारी Smt Priyanka Jain, DAO-II को PWD NH Bilaspur संभाग का अतिरिक्त प्रभार तत्काल प्रभाव से प्रदान किया जाता है।
3. कार्यालय आदेश 42 दिनांक 04.06.2025 के सरल क्रमांक 30 पर दर्शित अधिकारी Shri Rakesh Kumar, DAO-II को Research Officer, (Soils) CS&MT Raipur संभाग का अतिरिक्त प्रभार दिनांक 01.08.2025 से प्रदान किया जाता है।

कार्यालय आदेश क्रमांक प्रशासन-II /F-381/का.आ.-40 एवं 42 दिनांक 04.06.2025 के शेष विवरण यथावत रहेंगे।

(प्राधिकार- प्रधान महालेखाकार महोदय के आदेश दिनांक: 03.07.2025)

Sd/-

उप महालेखाकार (लेखा)

दिनांक: 03.07.2025

क्रमांक-प्रशासन-II /F-395/का.आ.-60/STR-127

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित:

1. संबन्धित कार्यपालन अभियंता/ कोषालय अधिकारी (e-mail द्वारा)।
2. सचिवालय, प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) छत्तीसगढ़, रायपुर
3. सचिवालय, उप महालेखाकार (लेखा)
- ✓ 4. वरिष्ठ लेखा अधिकारी / सर्वर (For upload in website).
5. संबन्धित अधिकारी को आधिकारिक व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से।

Kabral
3/7

वरिष्ठ लेखा अधिकारी / प्रशासन- II